भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 86/सेक (ई)/टी आर-1/1 नई दिल्ली, दि 22-11-96

स्थायी आदेश सं. 18

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब., रेलवे बोर्ड

विषय : आ पी एफ/आर पी एस एफ कर्मचारियों का स्थानांतरण संशोधित मार्गदर्शन

इस कार्यालय के 22.5.96, 20.6.96 और 28.6.96 के समसंख्यक पत्रों के अन्तर्गत जारी क्रमशः स्थायी आदेश सं. 2, 8 और 10 के क्रम में और उनमें आंशिक संशोधन करते हुए, आर पी एफ/आर पी एस एफ कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में आगे निम्नलिखित मार्ग निर्देश जारी किए जा रहे है :-

2. (क) आर पी एस एफ से आर पी एफ में स्थानान्तरण के लिए पात्रता अब निश्चित 5 वर्ष की अवधि की बजाय आर पी एस एफ में कम से कम 10 (दस) वर्ष की सेवा अपेक्षित होगी।

(ख) आर पी एस एफ से आर पी एफ में स्थानान्तरण के लिए कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार करने के लिए आर पी एस एफ में कुल सेवा काल एक मानदंड होगा।

(ग) आर पी एस एफ से आर पी एफ में स्थानान्तरण के लिए आवेदन हर वर्ष केवल पहली अक्तूबर और 31 दिसम्बर के बीच प्राप्त किए जाएंगे और उसके बाद स्थानान्तरण आदेश (अधिमानतः अगले वर्ष से पहले) जारी किए जाएंगे।

(घ) किसी व्यक्ति को जब एक बार आर पी एस एफ से उसकी पसन्द की क्षेत्रीय रेलवे पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो बाद में उसे क्षेत्रीय रेलवे में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ड) आर पी एस एफ स्टाफ की आर पी एफ क्षेत्रीय रेलवे पर अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण आर पी एस एफ में रिक्ति स्थिति को ध्यान में रखकर लागू किए जाएंगे।

(च) आर पी एस एफ और आर पी एफ में स्थानान्तरण केवल निरीक्षक ग्रेड 11 और उसके निचले पदों के कर्मचारियों के किए जाएंगे

3. आर पी एस एफ से आर पी एफ में मध्यवर्ती ग्रेडों में अन्तर्रेलवे स्थानान्तरण और एक रेलवे से दूसरी रेलवे में स्थानान्तरण स्थायी आदेश सं. 2/1996 के पैरा 12 में पहले से निर्धारित शर्तों के अध्ययीन किए जाएंगे। एक रेलवे से दूसरी रेलवे में और आर पी एस एफ से आर पी एफ में स्थानान्तरणों की सिफारिश रिलीव करने वाले सी एस सी द्वारा की जाएगी और प्राप्त करने वाली रेलवे के सी एस सी उसे स्वीकार करेंगे।

4. जिन आर पी एस एफ कर्मचारियों ने वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत आवेदन दिए थे लेकिन आर पी एस एफ में 10 वर्ष पूरे नहीं किए उनके स्थानान्तरण के लिए आवेदनों पर विचार किया जाएगा और गुणागुण के आधार पर और 10 वर्ष सेवा की पुनः लागू अपेक्षा में जहां आवश्यक हो छूट देते हुए, उनका निष्पादन किया जाएगा।

5. ये अनुदेश आर पी एस एफ/आर पी एफ में सब कर्मचारियों के ध्यान में लाए जाएं। अगले दो माह के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार उन्हें हाज़िरी के समय पढ़ा जाए ताकि स्थानान्तरणों के बारे में संशोधित नियमों की सबको जानकारी हो जाए। इसके अलावा इन अनुदेशों की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रमुख रुप से लगाई जाए।

6. डी एस सी/बटालियनों के सी ओ/सी एस सी सुनिश्चित करेंगे कि सब संबंधित इन अनुदेशों का अति सावधानी से पालन करें और असंगत आधारों पर बारी से पूर्व स्थानान्तरणों के किसी अनुरोध पर विचार न किया जाए।

7. ये अनुदेश तत्काल प्रभावी है।

कृपया पावती दें।

जोगिन्दर सिंह
महानिदेशक/आर पी एफ